



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]
No. 330]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

(आय कर)

का.आ. 434(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 10खक की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 16ड के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“धारा 10खक के अधीन कटौती का दावा करने के लिए रिपोर्ट का प्रारूप।

16च. धारा 10खक की उपधारा (5) के अधीन, लेखाकार की रिपोर्ट जिसे निर्धारिती द्वारा आय की विवरणी के साथ दिया जाना अपेक्षित है, प्ररूप 56ज में होगी ।”

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 56छ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं० 56ज
[नियम 16च देखिए]
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10खक के अधीन

1. मैंने / हमने.....

(निर्धारिती का नाम और पता स्थायी खाता संख्यांक सहित).....जो कि उनके उपक्रम का नाम.....से काष्ठ हस्तनिर्मित चीजों वस्तुओं के निर्यात में लगे हैं, जिनमें मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में काष्ठ है, की 31 मार्च.....को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खातों और अभिलेखों की परीक्षा की जाएगी ।

2. मैं / हम यह प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10खक की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा निर्धारणके लिए रु०.....कटौती की राशि का दावा किया गया है, निर्धारिती द्वारा प्राप्त विक्रय धनराशि के, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय है के आधार पर अवधारित की गई है । उक्त रकम इस प्ररूप में उपबंध क में संलग्न विवरण के आधार पर निकाली गई है ।

3. मैं / हम प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने इस धारा के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों की गणना के लिए आवश्यक सन्दर्भित सूचनाएं एकत्रित की और निर्धारिती के लेखे और अभिलेखों के संदर्भ में उन्हें सत्यापित किया है।

4. मेरी / हमारी राय में और मेरे / हमारे ज्ञान में और मुझे / हमें दिया गया स्पष्टीकरण के अनुसार उपबंध क में दिए गए विवरण सत्य और सही हैं ।

तारीख.....

हस्ताक्षर

लेखाकार

उपाबंध क

[प्ररूप 56ज का पैरा 2 देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10खक के अधीन निर्यातक द्वारा कटौती का दावा करने के संबंध में ब्यौरे

1. निर्धारिती का नाम:
2. निर्धारिती वर्ष:
3. उपक्रम का नाम:
4. उपक्रम का स्थान और पता:
5. उपक्रम के कारबार की प्रकृति:
6. निर्माण या उत्पादन के प्रारंभ की तारीख:
7. उपक्रम द्वारा नियोजित कामगारों की संख्या:
8. उपक्रम का कुल व्यापारावर्त:
9. उपक्रम का कुल लाभ:
10. उपक्रम का कुल निर्यात व्यापारावर्त:
11. पात्र वस्तुओं या चीजों के संबंध में उपक्रम का धारा 10खक की उपधारा (3) के अनुसरण में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात रकम में :
 12. उपयुक्त वस्तुओं या चीजों के संबंध में उपक्रम के विक्रय का आगम:
13. कृपया विनिर्दिष्ट करें

(i) क्या उपक्रम द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आयत करने के लिए पूरा प्रतिफल भारत में पूर्ववर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के भीतर भारत में लाया गया ।

हां.....नहीं.....

(ii) यदि नहीं, क्या इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ष में ऐसी और अवधि में भारत में लाने के लिए अनुज्ञात किया गया ।

हां.....नहीं.....

(iii) विनिर्दिष्ट राशि और संबंधित पूर्ववर्ष के मामले में, संबंधित पूर्ववर्ष की समाप्ति से छः माह की अवधि के पश्चात् संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा भारत में लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया गया जहाँ ऐसी रकम पूर्ववर्ष से संबंधित है। प्राधिकारी का नाम और अवधि जब तक जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया भी अधिकथित करें।

(iv) विक्रय के आगम की रकम, यदि कोई हों, निर्धारिती द्वारा अनुरक्षित भारत से बाहर किसी बैंक में पृथक लेखों का जमा की गई और इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुज्ञा का संदर्भ संख्यांक।

(v) क्या मुख्य कच्चा माल आयात किया गया। हां..... नहीं.....

14. कृपया विनिर्दिष्ट करें क्या निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10क और धारा 10ख के अधीन कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती वर्ष के किसी पूर्व निर्धारिती वर्ष में लेखापरीक्षा संपरीक्षा रिपोर्ट जमा की गई। हां..... नहीं.....

यदि हां, कृपया विनिर्दिष्ट करें कि आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अधीन कटौती का दावा किए जाने का निर्धारिती वर्ष।

15. धारा 10क के अधीन कटौती की रकम जिसके लिए निर्धारिती कार्यपत्र में हकदार है

16. टिप्पणियां यदि कोई हों.....।”

[अधिसूचना सं. 128/2004/फा.सं. 142/8/2004-टीपीएल]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3 (ii) तारीख 26 मार्च, 1962 को का.आ. 969(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया और अंतिम संशोधन आयकर (छटा संशोधन) नियम, 2004 द्वारा का.आ. सं. 52(अ) तारीख 12-1-2004 द्वारा किया गया।